

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा संविधान दिवस आयोजित

पुणे : 26 नवंबर, 2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कर्मचारियों और ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिए श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के नेतृत्व में देश भर में निरंतर विभिन्न आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस अनुक्रम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 26.11.2019 को संविधान दिवस आयोजित किया गया। बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यपालक निदेशक श्री ए. सी. राउत ने अंग्रेजी में तथा कार्यपालक निदेशक श्री हेमन्त टम्टा ने हिन्दी में प्रधान कार्यालय के सभी कर्मचारियों को तथा वीडियो कान्फरेन्सिंग के माध्यम से बैंक के सभी अंचल कार्यालयों के कर्मचारियों को भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' का पठन कराया। कार्यक्रम का सूत्र-संचालन महाप्रबंधक श्री एम. जी. महाबलेश्वरकर ने किया।

भारतीय संविधान के संस्थापकों के योगदान का स्मरण करने और सम्मान करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने देश भर के सभी संस्थानों/ सरकारी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में भारतीय संविधान में निहित मूलभूत कर्तव्यों सहित नागरिक कर्तव्यों पर केंद्रित एक जागरूकता अभियान चलाने और संविधान दिवस का आयोजन करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। दिनांक 26.11.2019 से शुरू होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों सहित नागरिक कर्तव्यों के संबंध में देश के नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक वर्ष तक के अभियान की घोषणा की गई है।

दिनांक 26 नवंबर, 2019 को 'संविधान दिवस' मनाने और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसका आरंभ भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' के पठन के साथ हुआ।

बैंक के विभिन्न अंचलों और शाखाओं में 26.11.2019 को संविधान दिवस मनाने के साथ ही दिनांक 14.04.2020 को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती तक बैंक द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना को सार्वजनिक रूप में पढ़ना, सेमिनार आयोजन और स्व-सहायता समूह और युवा क्लबों की बैठकें और ग्रामपंचायत मुख्यालयों में बैठकों में भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के रिपोर्ट कार्ड की सार्वजनिक रूप से रीडिंग करना शामिल है।

बैंक अभियान अवधि के दौरान प्रत्येक महीने में संविधान में निहित मूल कर्तव्यों में से प्रत्येक महीने एक कर्तव्य को अमल में लाएगा और तदनुसार कार्य योजना का अभिनिर्धारण करेगा। बैंक द्वारा बैंक की वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर लोगो, ई-पोस्टर और लघु फिल्मों इत्यादि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

